

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प राठडी

**-:आदेश:-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राठडी व भू.अ.नि. खिलती की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार खिलती की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गुलावपुरा तहसील खिलती जिला गुलावपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 में खाता संख्या 25/20 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क.सं. | ग्राम     | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------|-----------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1-    | गुलावपुरा | 25/20       | कौजी पुत्री वाला<br>भील साठे         | पूँजी पुत्री वाला<br>भील साठे                                |

पीठासीन अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

कमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खिलती को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री पूँजी पुत्री वाला भील गुलावपुरा को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर